



संख्या ई/260/6/ग्रेड पे 2400 तक/पुत्र/छात्र0/2021-22

दिनांक 19 07.2022

सभी विभागाध्यक्ष (मुसुआ को छोड़ कर)

अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण,

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, सिगनल कारखाना, गोरखपुर छावनी

मुख्य कारखाना प्रबन्धक/पुल

चिकित्सा निदेश, लनागिरे चिकित्सालय,

उप मुई/गोरखपुर क्षेत्र,

उप मुविई/कालोनी,

प्रधानाचार्य/एसटीएस/विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/सिगनल एवं दूर संचार

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/एनई रेलवे बालक/बालिका इन्टर कॉलेज/सीसे स्कूल

मंसिदूई/सूत/टेली

अधिकासी अभियन्ता पुल कारखाना, गोरखपुर छावनी

वरिष्ठ प्रबन्धक/मु0 एवं लेखन सामग्री

महामंत्री एनई रेलवे मजदूर यूनियन

महामंत्री आल इण्डिया एससी/एसटी रेलवे इम्प्लाईज एशोसिएशन

महामंत्री/पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एशोसिएशन।

पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

विषय:—शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु ग्रेड पे रूपये 2400/- तक ग्रेड पे प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के पुत्र जो मान्यता प्राप्त संस्थानों/विश्वविद्यालय में तकनीकी/व्यवसायिक डिप्लोमा/डिग्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं के लिए कर्मचारी कल्याण निधि द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना।

कर्मचारी कल्याण निधि से विषयगत छात्रवृत्ति देने का निश्चय किया गया है। कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अधीनस्त कर्मचारियों में इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराने की व्यवस्था करे तथा पात्र कर्मचारियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त कर अग्रसारित करते हुए इस कार्यालय को दिनांक 31.10.2022 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे।

छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पर कर्मचारी कल्याण निधि समिति को निर्णय देने के लिए कुछ प्राथमिकतायें निर्धारित की गई हैं जो निम्नवत हैं:

1. इस योजना के अन्तर्गत विषयगत कर्मचारी का पुत्र ही पात्र होंगे।
2. शिक्षा का अभिप्राय सभी डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम जो मान्यता प्राप्त संस्थानों / विश्वविद्यालय के हों तथा एक वर्ष में कम न हों।
3. प्रत्येक छात्रवृत्ति की राशि 1500/- (एक हजार पाँच सौ) मात्र प्रतिमाह होगी।
4. इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने वाले कर्मचारी कल्याण निधि की इस प्रकार की अन्य योजना से लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।
5. छात्रवृत्ति की राशि प्रति तिमाही दी जायेगी। छात्रवृत्ति के राशि का भुगतान पुत्र के खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर से माध्यम से किया जायेगा।
6. स्वीकृत की गई मासिक छात्रवृत्ति तब तक मिलती रहेगी जबतक यह छात्र अध्ययन का पाठ्यक्रम जिसके लिए छात्रवृत्ति दी गई है पूरी नहीं कर लेता वर्षों उसकी शिक्षा


एवं अन्य प्रकार के रिकार्ड सन्तोषजनक रहे हो। स्वीकृत छात्रवृत्ति पर कर्मचारी की मुत्यु/सेवानिवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7. एक कर्मचारी को एक वर्ष में दो विद्यार्थियों तक कर्मचारी कल्याण निधि से सहायता/छात्रवृत्ति मिल सकती है।
8. छात्रवृत्ति स्वीकृत किये जाने का निर्णय केन्द्रीय कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा की जायेगी। इस समिति का निर्णय अन्तिम होगा तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो पायेगी।

कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन पत्र को भर्ते समय निम्नलिखित बातों को विशेष ध्यान देवे।

1. कर्मचारी अपना पी.एफ. नम्बर छात्र का बैंक में बचत खाता संख्या, बैंक, का नाम, शाखा एवं पता सहित तथा सम्बंधित बैंक का आई.एम.एस. कोड संख्या स्पष्ट शब्द एवं आक्षरों में अंकित करना सुनिश्चित करें।
2. जिस संस्था में छात्र पढ़ रहा है, उसके पंजीकरण के सम्बंध में पूरा स्पष्ट व्यौरा अंकित करें।
3. कोर्स का स्पष्ट विवरण उसकी अवधि और डिप्लोमा/डिग्री होने के बारे में विस्तृत विवरण अंकित करें।
4. आवेदन पत्र कर्मचारी के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाय और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि जिस छात्र के लिए छात्रवृत्ति दी जानी है वह पास नियम के अन्तर्गत मान्य है।
5. आवेदन पत्र के साथ प्रवेश के समय जमा की गई फीस की रसीद की प्रति एवं पूर्व रूप से भरा पी.आई.-16 चार (04) प्रति में अवश्य संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र में कोई विवरण गलत पाया गया तो कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
6. छात्रवृत्ति के भुगतान के सम्बंध में सत्र जुलाई से जून माना जायेगा।
7. पूर्ववर्ती वर्ष/परीक्षा का अंक पत्र, आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

संलग्नक/आवेदन पत्र का प्रारूप


 (ए.के.बसल)
 सचिव/आर.आर.सी.
 कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

तकनीकी छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र

अन्तिम तिथि 31.10.2022

ग्रेड पे रूपये 2400/- तक ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों के पुत्र जो मान्यता प्राप्त संस्थानों/विषयविद्यालय से तकनीकी/व्यवसायिक डिप्लोमा/डिग्री शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें वर्ष 2022-23 के लिये छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने के सम्बंध में आवेदन पत्र। (प्रमुकाधि कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि 31.10.2022 निश्चित है, इसके बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।)

1. कर्मचारी सम्बन्धी जानकारी

- 1.1 कर्मचारी का नाम
- 1.2 पदनाम
- 1.3 कार्यालय का नाम
- 1.4 पी. बी. वेतन एवं ग्रेड पे
- 1.5 सम्पर्क हेतु कर्मचारी का मोबाईल
- 1.6 वेतनमान
- 1.7 पी. बी. वेतन
- 1.8 पी. एफ. संख्या
- 1.9 नियुक्ति तिथि
- 1.10 सेवा निवृत्ति तिथि

नोट: नये सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने सम्बंधी छात्र का फीस का रसीद तथा पी. आई-16 फार्म (चार प्रतियों में) जिसमें सम्बंधित बैंक का नाम, बैंक का पूरा पता, छात्र का बचत खातासंख्या बैंक का आई.एफ. एस.सी. कोर्ड संख्या अवश्य स्पष्ट अंकित करते हुए पासबुक की छायाप्रति (जिसमें उक्त विवरण बैंक द्वारा अंकित हो) संलग्न करें।

2. छात्र सम्बंधित सूचना :

- 2.1 छात्र का नाम
- 2.2 छात्र का आवेदनकर्ता से सम्बंध
- 2.3 छात्र द्वारा किये जा रहे पाठ्यक्रम का नाम
- 2.4 कोर्स की अवधि कब से कब तक
- 2.5 कितने वर्ष का पाठ्यक्रम है
- 2.6 आवेदन पत्र देते समय छात्र का वर्ष प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ
- 2.7 कालेज में प्रवेश लेने की तिथि

3. संस्था सम्बंधित सूचना :

- 3.1 संस्थान/विश्वविद्यालय का पूरा नाम
- 3.2 मान्यता प्राप्त है या नहीं
- 3.3 मान्यता देने वाली संस्था का नाम

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा कालम 3 के अन्तर्गत दी गई जानकारी सही है।

शिक्षण संस्थान के अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

4. अन्य विवरण:-

क्या कर्मचारी को इस छात्र के लिए कर्मचारी कल्याण निधि अथवा अन्य श्रोत से छात्रवृत्ति मिलती है तो उसका विवरण:-

वर्ष.....

धनराशि

5. कर्मचारी द्वारा घोषणा:-

मैं एतत् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं जिस छात्र के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ इसमें दिया गया सभी विवरण सही है। मैं यह भी बचन देता/देती हूँ कि इस समय मैंने जिस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है उसकी मंजूरी के बाद कर्मचारी कल्याण निधि से इस प्रकार कि अन्य योजना से इसका लाभ नहीं लूँगा/लूँगी, यदि को छात्रवृत्ति या सहायता किसी भी श्रोत से मंजूर की जायेगी तो मैं उसकी सूचना सचिव, कर्मचारी कल्याण निधि समिति को तत्काल देता/देती हूँ। यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि छात्र के अनुत्तीर्ण होने के वर्ष कर्मचारी कल्याण निधि से कोई सहायत नहीं लूँगा/लूँगी।

उक्त घोषणा में यदि कोई कमी पाई गई तो मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

कर्मचारी का हस्ताक्षर

6. कर्मचारी सम्बंधी सूचनाओं का मिलान सेवा अधिलेखों से करा लिया गया है तथा कर्मचारी द्वारा भरा गया उपरोक्त सभी विवरण सही है। जिस छात्र के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है वह पास नियम कि अन्तर्गत कर्मचारी पर आश्रित है।

नियंत्रक अधिकारी के पूर्ण
हस्ताक्षर
मुहर
दिनांक